

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:: कार्यालय-आदेश ::

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक: F-9(26)Ele.Edu./2019 Jaipur Dated-08-09-2021 की पालना में अंकित सेवा शर्तों (Terms and Condition) के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित कार्मिक की प्रतिनियुक्ति उनके नाम के आगे अंकित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के अधीन संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) में निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल संबंधित कार्मिक को प्रतिनियुक्ति स्थान हेतु कार्यमुक्त कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें :-

क्र. स.	कार्मिक का नाम	मूल पद	विषय	मूल पदस्थापन स्थान	जिला	नोडल/फीडर विद्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति पर KGBV (9-12) का नाम	जिला	प्रतिनियुक्ति पर पद मय विषय
1	SUMAN BHASKAR	Teacher (III Gr.) Level 2	HINDI	SINGHVI AMER CHAND GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ,MUTHALI (220748)	BARMER	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL NO. 1, TIJARA (496327)	KGBV DABICH PHAGI	JAIPUR	L-2 HINDI

The deputation will be on the following terms and conditions:-

1	Pay	As Govt. rules and other special allowance are given vide order no.F.9(1)Ele./2011 of Principal Secretary education Govt. of Rajasthan Dated 25.02.2011.
2	D.A.	Dearness allowances will be regulated under the rules of the parent Govt. or and the rules of borrowing Govt. or and the rules of borrowing Govt./Foreign employer according as pay is drawn in the parent pay scale or in pay scale of post held on deputation.
3	Other Allowances Compensatory Allowances, City Allowances, House rent Allowances	Compensatory (City Allowances, HRA shall be admissible according to the rules of the parent Govt. or borrowing authority whichever more beneficial.)
4	Medical attendance	Medical Concession shall be admissible according to the rules of borrowing Govt./Foreign employer or under the rules of parent Govt./ Council whichever is beneficial.
5	(a) Pension Contribution	(c) During the period of deputation he will be governed by the pension rule of the lending authority or parent employer applicable to him before such transfer. The pension contribution shall be paid by the borrowing authority/ foreign employer in accordance in the provisions contained in RSR.
	(b) Leave Salary	(d) Recovery of leave salary contribution in respect of Govt. servant shall not be made. The payment of leave salary including leave encashment benefits in respect of leave taken by a Govt. Servant while on deputation/foreign service shall be made by the borrowing authority/foreign employer in discharge of their liability to pay the cost of leave salary to the Govt. payment of leave salary of Government servant who takes leave on the conclusion of the foreign service before re-joining his post under the Government. The liability of payment of leave salary in such case shall be borne by the borrowing authority in accordance with the finance department order No. F.7 (7)(43) Rules/58 dated 21.1.81.
6	Joining Time pay & T.A. for the journey on transfer to foreign service and on reversion there from.	To be paid by the foreign employer.

7	Leave Salary not leave contribution in respect of disability leave that may be guarantor on account of an disability incurred through such foreign service even though disability manifests itself the expiry of foreign service.	To be paid by the foreign employer.
8	Period of deputation	one year from the date of joining or end of the project whichever is earlier.

नोट :-

1. जिन कार्मिकों को परियोजना में प्रतिनियुक्ति से मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त हुए एक वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है एवं जिनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
2. जिन कार्मिकों की नियुक्ति राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2012 के अन्तर्गत हुई है, उन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
3. केजीबीवी टाईप-1 व 3 (कक्षा 6 से 8) आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं का वेतन ब्लॉक के राजकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध आहरण किया जावेगा।
4. केजीबीवी टाईप-1 व 3 (कक्षा 6 से 8) व मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं को हार्ड इयूटी भत्ता राज्य सरकार के निर्णय उपरान्त देय होगा।
5. केजीबीवी टाईप-1 व 3 (कक्षा 6 से 8), केजीबीवी टाईप 3 व 4 (कक्षा 9 से 12) व मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित शिक्षिकाओं को यात्रा एवं योगकाल भत्ता देय होगा।
6. केजीबीवी टाईप-3 व 4 (कक्षा 9 से 12) में प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापित वार्डन विद्यालय समय के अतिरिक्त छात्रावास में अपनी सेवाएँ देगी। जिसका वेतन भत्तों के अतिरिक्त निर्धारित मानदेय देय होगा।
7. केजीबीवी टाईप-1 व 3 (कक्षा 6 से 8), केजीबीवी टाईप-3 व 4 (कक्षा 9 से 12) व मेवात बालिका आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षिकाओं की प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की नीति क्रमांक प.19(12) शिक्षा-2/2020, जयपुर दिनांक 18.06.2020 लागू होगी।



(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-3/13406/रा.स्कू.शि.प./प्रतिनियुक्ति/2021/54 दिनांक: 21/09/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 3- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 4- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जोधपुर/जयपुर संभाग।
- 5- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।
- 6- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक बाड़मेर/जयपुर।
- 7- स्टॉफ आफिसर, निजी अनुभाग।
- 8- संबंधित कार्मिक/संस्था प्रधान।
- 9- रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर